संख्याः 633/79-6-07—86सा0/2006

प्रेषक,

जवाहर लाल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
ज्वाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग – 6 **लखनऊ** **दिनांकः 14 फरवरी, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उचित दर दुकानदारों के लाभांश का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–ले0शा0/3174/खा–1–170–सात/एम0डी0एम0/2006–07 दिनांक 09.02.2007 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दुकानदारों का लाभांश रू0 12.00 प्रति कु0 + बोरा किए जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि मध्यान्ह भोजन योजना में कोटेदार द्वारा कोई धन जमा नहीं किया जाता है, अतः जो भी नगद भुगतान उसे किया जाता है, उसे उठान के समय विपणन शाखा/आवश्यक वस्तु निगम द्वारा दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3. इस सम्बन्ध में यह भी निदेशित किया जाता है कि विपणन शाखा/आवश्यक वस्तु निगम दुकानदारों के लाभांश का व्यय, मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत हैण्डलिंग के मद में मिलने वाली धनराशि से वहन करेंगे। यह व्यवस्था केवल मध्यान्ह भोजन योजना पर ही लागू होगी।

भवदीय

(जवाहर लाल)
अनु सचिव